भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *102

27.07.2026 को उत्तर के लिए

जलवायु अनुकूलन संबंधी योजनाएँ

***102. श्रीमती संजना जाटव :**

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत दस वर्षों के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते औसत तापमान, लू की घटनाओं, वर्षा के बदलते पैटर्न, सूखे, बाढ़ और विषम मौसम संबंधी अन्य घटनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे;

(ख) क्या सरकार ने कृषि उपज, फसल उत्पादकता, पशुपालन, जल संसाधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अत्यधिक तापमान की स्थिति और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जिलों की पहचान करके जलवायु अनुकूलन संबंधी कोई विशेष योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान की स्थिति सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों को बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए कोई एकीकृत राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'जलवायु अनुकूलन संबंधी योजनाओं' के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को उत्तर के लिए श्रीमती संजना जाटव और श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *102 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क): सरकार ने पिछले दस वर्षों के दौरान जलवायु परिवर्तन एवं चरम मौसमी घटनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर आकलन किया है जिसमें औसत तापमान में वृद्धि, लू, वर्षा के बदलते पैटर्न, सूखा, बाढ़, चक्रवात तथा अन्य विकट मौसमी घटनाएं शामिल हैं।

भारत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा कन्वेंशन के पक्षकार के रूप में, यूएनएफसीसी को समय-समय पर कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रीय संप्रेषण प्रस्तुत करता रहा है और भारत की ग्रीन हाऊस गैस (जीएचजी) इन्वेंटरी जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता, शमन और अनुकूलन के संबंध में सूचना प्रदान करता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा कन्वेन्शन को प्रस्तुत तीसरे राष्ट्रीय संप्रेषण (टीएनसी) में बताया गया है कि भारत बाढ़ और सूखा से लेकर लू तथा हिमनदों के पिघलने सहित जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का सामना कर रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने "भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें भारत में जलवायु के अवलोकित तथा अनुमानित परिवर्तनों का व्यापक आकलन प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने "भारत का जलवायु जोखिम एवं संवेदनशीलता एटलस" नामक एक वेब-आधारित पोर्टल विकसित किया है, जिसमें 13 प्रमुख मौसमी जोखिमपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया है, जिनसे मानव जीवन, पशुधन तथा अर्थव्यवस्था को अत्यधिक क्षति होती है। इसके अलावा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पिछले 30 वर्षों के दौरान देश में वर्षा के बदलते पैटर्न तथा वर्षा की चरम घटनाओं का विभिन्न स्थानिक (राज्य एवं जिला) स्तरों पर भी अध्ययन किया है।

(ख) से (ङ): भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपनी प्रमुख परियोजना "राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार" (एनआईसीआरए) के माध्यम से अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल के प्रोटोकॉल के अनुसार देश के 651 प्रमुखत: कृषि-प्रधान जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि के जोखिम एवं संवेदनशीलता का जिला-स्तरीय आकलन किया। कुल 109 जिलों को "अत्यधिक उच्च" तथा 201 जिलों को "उच्च" संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा है। एनआईसीआरए ने सिमुलेशन मॉडलों का उपयोग करते हुए देश में जलवायु परिवर्तन का फसल उत्पादकता पर प्रभाव का भी आकलन किया है। इस अध्ययन के अनुसार वर्षा-आधारित कृषि के अंतर्गत धान की उपज में वर्ष 2050 तक लगभग 20 प्रतिशत तथा वर्ष 2080 तक 47 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है, जबकि सिंचित धान की उपज में वर्ष 2050 तक 3.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2080 तक 5 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है, जबकि गेहूँ की उपज में वर्ष 2050 तक 19.3 प्रतिशत तथा वर्ष 2080 तक 40 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है, मक्का की उपज में वर्ष 2050 तक 18 प्रतिशत तथा वर्ष 2080 तक 23 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान से दूध, मांस, ऊन तथा उत्पादक क्षमता (ड्राफ्ट पावर) में भी कमी आने की आशंका है। मवेशियों एवं भैंसों में तापीय तनाव (हीट स्ट्रेस) के कारण भारत में प्रतिवर्ष लगभग 18 से 20 लाख टन दूध का उत्पादन प्रभावित होता है। तापमान में वृद्धि से मछलियों के प्रवास तथा उनके प्राकृतिक पर्यावास भी प्रभावित होने की संभावना है, जिससे कुछ क्षेत्रों में मत्स्य भंडार बढ़ सकते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में उनमें कमी आ सकती है। जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील आर्थिक गतिविधियाँ आदि जैसे धान की खेती, औषधीय पौधों की खेती, कपास एवं चाय के बागान तथा लघु स्तर की मत्स्य पालन गतिविधियाँ आदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के

लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि चरम मौसमी घटनाओं का इन क्षेत्रों पर असमानुपातिक रूप से अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के लिए एक व्यापक रूपरेखा है तथा इसमें नौ राष्ट्रीय मिशन हैं जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, संधारणीय पर्यावास, जल संसाधन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, ग्रीन इंडिया, संधारणीय कृषि, मानव स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यनीतिक ज्ञान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन मिशनों का कार्यान्वयन संबंधित नोडल मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। इन नौ मिशनों में से छः मिशन संवेदनशील समुदायों और क्षेत्रों की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

इनके अलावा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और जलवायु सहनशीलता एवं अनुकूलन को मजबूत करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं, कार्यक्रम और पहलें हैं, जैसे कि सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए "प्रति बूंद अधिक फसल" योजना, संधारणीय कृषि के लिए "परंपरागत कृषि विकास योजना" तथा "राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन", जल सुरक्षा के लिए "जल जीवन मिशन", पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन एवं जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण(काम्पा) कार्यक्रम तथा "मिष्टी" (तटरेखीय पर्यावास एवं ठोस आय हेतु मैंग्रोव पहल) तथा समुदाय-आधारित आपदा तैयारी एवं आपदा कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए "आपदा मित्र योजना" है।

इसके अलावा, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपनी राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। इन एसएपीसीसी में अनुकूलन और प्रतिरोधकता सहित क्षेत्र-विशिष्ट एवं बहु-क्षेत्रीय प्राथमिकता वाली कार्य योजनाओं का उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से, राजस्थान राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में एक व्यापक रूपरेखा शामिल है, जिसमें जलवायु जोखिम एवं संवेदनशीलता का आकलन, वर्तमान जलवायु प्रवृत्तियों तथा भविष्य के जलवायु अनुमानों का विश्लेषण और क्षेत्र विशेष जलवायु कार्रवाई एवं कार्यनीतियां शामिल हैं। इनमें जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन, मानव स्वास्थ्य, वन एवं जैव विविधता, ऊर्जा दक्षता एवं नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी प्रशासन एवं संधारणीय पर्यावास तथा जलवायु ज्ञान प्रबंधन को कवर किया गया है। राजस्थान ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना 2030 तैयार करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है। आरएसएपीसीसी ने बाढ़-प्रवण जिले के रूप में इसकी स्थिति को देखते हुए, भरतपुर जिले को प्रस्तावित जलवायु-प्रतिरोधक उपायों में शामिल किया है, जिसमें बाढ़ जल के संचयन एवं संरक्षण तथा उसका उपयोग भूजल पुनर्भरण और एक्वीफायर के पुनरुद्धार करने के संबंध में प्रायोगिक अध्ययन भी शामिल हैं।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2022 से केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक वर्ष गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन किया जाता है। वर्ष 2025 के आकलन के अनुसार, देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 448.52 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम), वार्षिक दोहन योग्य भूजल संसाधन 407.75 बीसीएम, तथा कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247.22 बीसीएम होने का अनुमान है। देश में कुल 6,762 आकलन इकाइयों में से 730 इकाइयों को अत्यधिक दोहन, 201 इकाइयों को गंभीर, 758 इकाइयों को कम-गंभीर, 4,946 इकाइयों को सुरक्षित तथा 127 इकाइयों को लवणीय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, जो पूरे देश में अलग-अलग भू-जल दबाव को दर्शाता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार घट रही है, जिससे मौजूदा जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है।
